न्यायालय जिलाकलेक्टर, कोटा

पीठासीनअधिकारीः–डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या –37/2023 (अपील)

GCMS No.2023/149

1. किशनगोपाल पुत्र श्री हीरालाल
2. मोहन पुत्र श्री हीरालाल
3. सूरजमल पुत्र श्री हीरालाल
   निवासीगण ग्राम दीपपुरा, तहसील लाडपुरा जिला कोटा राज0)

––अपीलांट

बनाम

1. धनपाल पुत्र श्री दोला जाति बलाई
2. सूरजमल पुत्र श्री दोला जाति बलाई
3. रामदयाल पुत्र श्री दोला जाति बलाई
   निवासीगण ग्राम बनियानी, तहसील लाडपुरा जिला कोटा

––रेस्पोडेंट्स

अपील विरूद्व आदेश दिनांक 19.12.2019 न्यायालय तहसीलदार रामगंजमण्डी मिसल नं0 1/2019 धारा 183–बी रा0टी0एक्ट अन्तर्गत धारा–225 राज0टीनेन्सी एक्ट

उपस्थित–

1. श्री चन्द्र शेखर कक्कड़, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री बलराम शर्मा, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट

निर्णय

दिनांकः–18.03.2024

1. अपील के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा ने प्रार्थीगण धनपाल वगै0 के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के सम्बन्ध में मि0नं0 27/2023 में दिनांक 28.06.2023 को निर्णय पारित किया कि– " प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तर्गत धारा 183 बी राज0आर0टी0एक्ट 1955 के तहत आदेश दिया जाता है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी की आराजी से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सम्भलाया जावे तथा अतिक्रमण यदि कोई हो तो ध्वस्त किया जावें । वास्ते पालना सर्किल कानूनगो /पटवारी हल्का को लिखा जावें ।"
2. उक्त निर्णय की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 13.07.2023 को इस न्यायालय में पेश की गई है कि रेस्पोडेन्ट का नाम राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार कथित रूप से कृषि आराजी वाके ग्राम बनियानी, पटवार हल्का बनियानी, तहसील लाडपुरा की खसरा नम्बर 606 रकबा 0.32 हे0 व खसरा नम्बर 609 रकबा 0.47 हे0 के खातेदार की हैसियत से छल पूर्वक विधि विरूद्व तरीके से अमलदरामद कर दिया गया । उक्त अवैध विधि विरूद्व अंकन के आधार पर रेस्पोडेन्ट के द्वारा अपीलान्ट की वर्णित आराजी से बेदखली हेतु प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी राज. टीनेन्सी एक्ट के तहत प्रस्तुत किया गया जिसे आरबीट्रेरी रूप से निर्णित करते हुए योग्य अधीनस्थ न्यायालय द्वारा जेर अपील निर्णय दिनांक 28.6.2023 बाबत बेदखली अपीलान्ट की रेस्पोडेन्ट के हक में विधि विरूद्व तरीके से पारित कर दिया गया है जो निरस्तनीय है ।
3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को जरिये रजिस्टर्ड सम्मन तलब किया गया, रेस्पो0 की ओर से विद्वान अभिभाषक बलराम शर्मा का वकालतनामा

जिला कलेक्टर
कोटा

पेश हुआ । अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली तलब की गई । वकील उभयपक्ष उपस्थित । वकील उभयपक्ष बहस सुनी गई ।

4. वकील अपीलान्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि योग्य अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों एवं रिकार्ड के सर्वथा विपरीत न्याय संचिका में मान्यता प्राप्त सिद्वान्तों के विपरीत होने से अपास्त किए जाने योग्य है । योग्य अधीनस्थ न्यायालय के द्वारा निर्णय जेर अपील पारित करते समय इस तथ्य एवं कानूनी बिन्दु पर गौर नहीं फरमाया गया कि खसरा नम्बर 606 व 609 की वर्णित आराजी पर कभी भी रेस्पोडेन्ट का कब्जा नहीं रहा है, उक्त वर्णित आराजी पर अपीलान्ट आर.टी.एक्ट के प्रभाव में आने के पूर्व से ही पुश्तों से काबिज मय काश्त चले आ रहे है तथा राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार अपना नाम अंकित कराने के विधिक रूप से अधिकारी है । वर्णित आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में रेस्पोडेन्ट का नाम बहैसियत खातेदार कथित रूप से बिना कब्जे के , बिना आवंटन के, बिना किसी विधिक अधिकार के राज कर्मचारियों से सांठ गांठ के तहत अंकित किया गया है व कब्जा प्राप्ति बाबत रेस्पोडेन्ट्स के द्वारा योग्य अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत किया गया प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी आर टी एक्ट मियाद बाधित है । उक्त परिस्थितियों में भी योग्य अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील निर्णय पारित करने में कानूनी त्रुटि की है । कर्मचारियों के द्वारा भी मिथ्या साक्ष्य गढने की गरज से खसरा गिरदावरी सम्वत 2067 से 2070 में भी कूटरचना की गई है । जिसके सम्बन्ध में भी अपीलान्ट पुलिस अधीक्षक ग्रामीण कोटा को परिवाद प्रस्तुत कर रहा है । उक्त तथ्य पर गौर नहीं करके अधीनस्थ न्यायालय ने जेर अपील निर्णय पारित करने में त्रुटि की है । वर्णित आराजी पर अपीलान्ट का पुश्तों से कब्जा होने के आधार पर भी व काबिज मय काश्त होने पर भी व विधि की मंशा के अनुरूप राजस्व रिकार्ड में अपना नाम अमल दरामद कराने के अधिकारी होने पर भी उक्त वर्णित भूमि कीमतन अपीलान्ट को आवंटित भी कर दी गई थी एवं जिसकी चुकता राशि की अदायगी अपीलान्ट के द्वारा राज्य सरकार को भुगतान कर दी गई है परन्तु उसके उपरांत भी कथित रूप से वर्णित आराजी बाबत राजस्व रिकार्ड में अपीलान्ट का नाम बहैसियत खातेदार दर्ज न करने में तहसीलदार लाडपुरा के द्वारा पदीय कर्तव्यों में कोताही करते हुए घोर त्रुटि कारित की गई है व कथित रूप से राजस्व रिकार्ड में बहैसियत खातेदार अवैध अंकन वर्णित आराजी बाबत रेस्पोडेन्ट का किया गया है । उक्त वर्णित परिस्थितियों में भी निर्णय जेर अपील पारित करने में त्रुटि की है । वकील अपीलान्ट द्वारा फर्द के साथ खसरा गिरदावरी एवं आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर की प्रतियां पेश की है जिनसे भी अपीलांट को भूमि आवंटन होने की पुष्टि होती है । अतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.6.2023 अपास्त फरमाया जावें ।

5. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट की ग्राम बनियानी स्थित भूमि खसरा नम्बर 606 की 0.32 हे0, 609 की 0.47 हे0 पर अप्रार्थी अपीलांटगण किशनगोपाल वगै0 द्वारा अनाधिकृत कब्जा करने से प्रार्थी के प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 183–बी के तहत अपीलाधीन निर्णय पारित कर अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट को बेदखली के आदेश प्रदान किये है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पटवारी से मौका रिपोर्ट प्राप्त की गई जिस अनुसार उक्त भूमि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट के खातेदारी की भूमि है जिस पर किशनगोपाल आत्मज हीरा के द्वारा ही कब्जा काश्त किया जा रहा है जो अनुसूचित जाति के व्यक्ति की भूमि पर अन्य सवर्ण का व्यक्ति का अनाधिकृत कब्जा काश्त होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा राज0 काश्तकारी अधिनियम की धारा 183–बी के अन्तर्गत बेदखली के आदेश किये है जो उचित है, अपीलाधीन आदेश में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलान्ट अपास्त फरमाई जावें ।

6. हमने उभयपक्ष की बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का अवलोकन किया । अपीलांटगण द्वारा यह अपील अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार लाडपुरा के आदेश दिनांक 28.6.2023 प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अन्तर्गत धारा 183 बी राज0आर0टी0एक्ट 1955 के तहत आदेश दिया गया है कि अप्रार्थीगण को प्रार्थी की आराजी से बेदखल कर कब्जा प्रार्थी को सम्भलाया जावे तथा अतिक्रमण यदि कोई हो तो ध्वस्त किया जावें । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 13.07.2023 को इस न्यायालय में अन्दर मियाद पेश की है ।

जिला कलेक्टर
कोटा

7. अपीलान्ट का तर्क है कि उक्त भूमि पर वह पुश्तों से कब्जा काश्त करते चले आ रहे है, तथा मौका रिपोर्ट अनुसार ग्रामवासियान द्वारा बताए अनुसार अपीलांटगण कई वर्षो से उपरोक्त खसरा नम्बरान पर काबिज काश्त है । आगे यह भी तर्क दिया है कि अपीलांट को भी ग्राम बनियानी के खसरा नम्बर 456 में दिनांक 6.6.1986 को कीमतन आवंटन हुई थी, उक्त खसरा नम्बर 456 के बाद बन्दोबस्त खसरा नम्बर 606 व 609 कायम किया जाना बताया है । किन्तु वादग्रस्त भूमि खसरा नं0 606 की 0.32 हे0 एवं खसरा नं0 609 रकबा 0.47 हे0 रेस्पोडेन्टगण के नाम खातेदारी दर्ज है साथ ही रेस्पोडेन्ट धनपाल आत्मज दोला बलाई निवासी बनियानी को भी उक्त भूमि दिनांक 6.6.86 को आवंटन हुई थी । अपीलान्ट का कथन है कि उनको यह भूमि कीमतन आवंटन हुई थी, यदि आवंटन हुई थी तो उनके द्वारा राजस्व रेकार्ड में अमल क्यों नहीं कराया तथा इतने लम्बे समय से अनाधिकृत कब्जा काश्त करते चले आ रहे है जो विधि विरूद्व होने से अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित आदेश दिनांक 28.06.2023 में किसी प्रकार की त्रुटि नहीं है । अपीलान्ट द्वारा प्रस्तुत तथ्य इस अपील में मानने योग्य नहीं है । क्योंकि वर्तमान में खातेदार रेस्पोडेन्टगण है जो अनुसूचित जाति के सदस्य है ओर उनकी खातेदारी भूमि पर अपीलांट जो कि अन्य सवर्ण व्यक्ति है के द्वारा कब्जा काश्त की जा रही है जो विधि अनुरूप नहीं होने से तहसीलदार द्वारा पारित आदेश उचित है । अपील अपीलांट अस्वीकार योग्य पाते है ।
8. उपरोक्त विवेचनानुसार अपील अपीलांट स्वीकार करने के पर्याप्त एवं ठोस आधार पत्रावली पर उपलब्ध नहीं होने से अपील अपीलांट अस्वीकार की जाकर खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 28.6.2023 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।
9. निर्णय आज दिनांक 18.03.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा